UPVR010052492026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या–02, वाराणसी।

उपस्थितः– रचना सिंह (एच 0 जे0 एस 0)

(जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0–1644)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1745 सन् 2026

रामसिंह पुत्र स्व० मन्नु निवासी ग्राम नोनखरा, थाना जंसा, जिला वाराणसी।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०–89/2026
धारा–419,420,506 भा.दं.सं.
थाना–जंसा, जिला–वाराणसी।

दिनांक–08.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **रामसिंह** पुत्र स्व० मन्नु निवासी ग्राम नोनखरा, थाना जंसा, जिला वाराणसी की ओर से अपराध संख्या 89/2026, अन्तर्गत धारा 419,420,506 भा.दं.सं. थाना जंसा, जनपद–वाराणसी में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी घरेलू महिला है और अपने पति के साथ बराबर रहती है और प्रार्थिनी के पति पूना, महाराष्ट्र में छोटा–मोटा कारोबार करके अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन व परवरिश कर रहे हैं। प्रार्थिनी को वाराणसी जिले में रहने योग्य जमीन नहीं थी लिहाजा प्रार्थिनी ने रहने योग्य जमीन खरीदने के लिये अपने पति के साथ मिलकर जमीन की तलाश कर रही थी और विपक्षी नं0–2 एवं विपक्षिनी नं0–3 के माध्यम से जमीन मजकूर की जानकारी होने पर प्रार्थिनी अपने पति के साथ मिलकर जमीन क्रय करने के सम्बन्ध में विपक्षी नं0–1 से पूछा व पता लगाया, तब विपक्षी नं0–1 द्वारा बताया गया कि उपरोक्त जमीन बहुत अच्छी है और प्रार्थिनी के रहने योग्य है, प्रार्थिनी उसे क्रय करके उसमें अपना मकान भी बनवा सकती है। लिहाजा विपक्षी नं0–2 व 3 की बातों पर विश्वास व भरोसा करके प्रार्थिनी ने उपरोक्त जमीन को खरीदने के लिये विपक्षी नं0–1 से मिलकर बात–चीत किया, जिसपर विपक्षी नं0–1 विवादित सम्पत्ति को 8,00,000 /– रुपये में विक्रय करने की बात करने लगा, लिहाजा प्रार्थिनी के पति ने मु० 8,00,000/–रुपये देकर उपरोक्त जमीन जिसका पूरा विवरण इस प्रार्थना–पत्र के अन्त में दिया गया है, को खरीदने पर तैयार व रजामन्द हुआ। प्रार्थिनी के पति ने उपरोक्त जमीन का बैनामा प्रार्थिनी के नाम से क्रय करने के लिये तैयार व रजामन्द हुए तत्पश्चात् विपक्षी नं0–1 ने यह जाहिर किया विपक्षी नं0–1 अच्छे वकीलों को जानता है, चलकर बैनामा करा देगा और बैनामा तहरीर करने की बात–चीत करके विपक्षी नं0–1 प्रार्थिनी को अपने साजिशी अधिवक्ता की चौकी पर ले जाकर बैठा दिया और कुछ देर में दस्तावेज बैनामा

Digitally signed by Rachana Singh
Date: 2026.07.08 16:58:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

टाईप कराने एवं कागजात व स्टाम्प वगैरह के लिये पैसा लिया और स्टाम्प पेपर एवं कागजात पर बैनामा कराकर ले आया और बैनामा में जमीन की कीमत में 6,07,000/–रुपया बाजारु कीमत जाहिर करते हुए लेन–देन मु० 3,20,000/–रुपये ही जाहिर किया। चूँकि प्रार्थिनी को बैनामा लेना आवश्यक था और प्रार्थिनी को कानून की व कायदे की कोई जानकारी नहीं थी, लिहाजा प्रार्थिनी ने उसका कोई विरोध नहीं किया। तत्पश्चात् दिनांक 29.11.2023 को बैनामा तहरीर होने के पशचत् प्रार्थिनी ने अपना नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया और नाम दर्ज करवाने का प्रयास करने लगी और उपरोक्त सम्पत्ति पर नाम दर्ज कराने का प्रयास करने लगी, जिसपर विपक्षी नं0–1 विवाद करने लगा जिससे प्रार्थिनी का नाम दर्ज नहीं हो सका, तब प्रार्थिनी अपने पति के साथ अपने बच्चों को पूना में ही छोड़कर वाराणसी आकर विपक्षी नं0–1 से मिलकर निवेदन किया कि विपक्षी नं0–1 ने ऐसा क्यों किया, प्रार्थिनी का काफी नुकसान हुआ है और वर्तमान में भी नुकसान हो रहा है। लिहाजा उपरोक्त सम्पूर्ण नुकसान की धनराशि विपक्षी नं0–1 वापस कर देवे, जिसपर विपक्षी नं0–1 द्वारा टाल–मटोल व हीला–हवाली किया जाने लगा और इस प्रकार 8,50,000/–रुपये रजिस्ट्री में एवं 10,000/–रुपये कागजात वगैरह में एवं भाग–दौड़ करने एवं 3 वर्ष से पूना से वाराणसी आने–जाने एवं जो समय बर्बाद हुआ वह अलग, इस प्रकार प्रार्थिनी का काफी नुकसान हुआ। प्रार्थिनी ने उपरोक्त जमीन को प्राप्त करने की गरज से कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के यहाँ जाकर निवेदन किया किन्तु कहीं से कोई जबाब नहीं मिला। लिहाजा प्रार्थिनी दिनांक 04.05.2026 को अपने पति के साथ शिवप्रकाश सिंह एडवोकेट दीवानी कचहरी वाराणसी के यहाँ गयी और जब प्रार्थिनी सम्पूर्ण कागजात 41 व 45. खतौनी, खसरा आदि को निकलवाया और अधिवक्ता द्वारा उसका अवलोकन किया गया तब ज्ञात हुआ कि उपरोक्त सम्पत्ति विपक्षी नं0–1 के नाम से नहीं है, बल्कि भीटा है और सरकारी कागजात में भीटा के रुप में दर्ज है। प्रार्थिनी अपने पति के साथ विपक्षी नं0–1 के यहाँ जाकर अपने उपरोक्त पैसों की माँग करने लगी तब विपक्षी नं0–1 ने बताया कि उपरोक्त धनराशि खर्च हो गया और निवेदन करने पर विपक्षी नं0–1 की पत्नी के साथ मार–पीट किया और इस बात की धमकी दिया, मैने बैनामा किया किन्तु एक पैसा नहीं दूँगा, तुमको जो करना होगा कर लेना। तथ्यों से भली–भाँति जाहिर व साबित है कि विपक्षीगण धोखाधड़ी, फरेब व चार सौ बीसी एवं कूटरचना करके और अपना फर्जी नाम चढ़ाकर कूटरचना किया है और प्रार्थिनी को फर्जी बैनामा किया, जिससे प्रार्थिनी की शख्त हकतलफी व अपूर्णनीय क्षति हुई है और वर्तमान में हो रही है। लिहाजा प्रार्थिनी उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्रीमान् जी के यहाँ प्रस्तुत कर रही है। अतः उपरोक्त प्रकरण में थानाध्यक्ष थाना जंसा को निर्देशित करें कि थानाध्यक्ष थाना जंसा विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके विपक्षीगण को गिरफ्तार करके दण्डित किया जावे।

3. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में अभियोजन कथानक अंकित करते हुए सारतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त की माता अमरावती देवी व परिवार के अन्य सदस्य इसरावती देवी, शान्ति देवी, ब्रम्हदेई देवी ने आराजी नं० 27/7 नया नम्बर 92 ख है रकबा 2 एकड सवा 2 डिसमिल स्थित मौजा नोनखरा परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी का बैनामा दिनांक 30.01.1982 को गौरी शंकर पुत्र स्व० दरबारी उपाध्याय निवासी ग्राम शम्भूपुर परगना कसवार राजा पोस्ट सेवापुरी जिला वाराणसी से कराया उक्त जमीन पर प्रार्थी अभियुक्त रामसिंह की माता अमरावती देवी के हक व हिस्से में 15 बिस्वा जमीन आयी जिसपर अमरावती देवी बहैसियत मालिक काबिज दाखिल चली आ रही थी। प्रार्थी/अभियुक्त रामसिंह की माँ अमरावती देवी का देहान्त अरसा पूर्व हो चुका है उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर बजरिये वरासतन प्रार्थी/अभियुक्त रामसिंह व प्रार्थी अभियुक्त के भाईगण विनोद व मनोज का

नाम दर्ज हुआ है। बजरिये वरासतन प्रार्थी/अभियुक्त रामसिंह को उक्त आराजी में 5 बिस्वा जमीन हक हिस्से में मिला है जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त रामसिंह बहैसियत मालिक काबिज दाखिल चला आ रहा है और प्रार्थी/अभियुक्त का नाम सरकारी खतौनी में दर्ज है। प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त आराजी नं0 92 ख रकबा 0.8090 हे० में से अपने वैधानिक अंश में से 1 बिस्वा जमीन यानि 126.394 वर्गमीटर स्थित मौजा नोनखरा परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब वाराणसी का बैनामा वादिनी मुकदमा रंगीता विश्वकर्मा पत्नी प्रेम विश्वकर्मा निवासिनी ग्राम नोनखरा थाना जंसा जिला वाराणसी के पक्ष में दिनांक 29.11.2023 को किया है। जिस पर रंगीता विश्वकर्मा उक्त जमीन पर बहैसियत मालिक काबिज दखील है जो वर्तमान में भी काबिज दखील है। प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त जमीन को वाला–वाला कार्यवाही करते हुए और प्रार्थी को अंधकार में रकखर प्रार्थी के गांव के शीतला ने बिना न्यायालय के नोटिस जारी कराये एकतरफा कार्यवाही कराते हुए दिनांक 03.08.2023 को चकबन्दी अधिकारी द्वितीय वाराणसी के न्यायालय से आराजी को भिटा दर्ज करा दिया है। उक्त एकतरफा आदेश दिनांकित 03.08.2023 की जानकारी प्रार्थी अभियुक्त को दिनांक 19.04.2024 ई० को हुई। इसके पूर्व ही प्रार्थी अभियुक्त रामसिंह ने उक्त आराजी का बैनामा दिनांक 29.11.2023 ई० को वादिनी मुकदमा रंगीता विश्वकर्मा के पक्ष में कर दिया था। चकबन्दी अधिकारी द्वितीय वाराणसी के आदेश की जानकारी दिनांक 19.04.2024 होने के पश्चात प्रार्थी अभियुक्त ने वर्तमान आराजी नं0 92 ख की खतौनी अपने अधिवक्ता महोदय से निकलवायी तो पता चला कि शीतला ने गलत तरीके से उक्त आराजी पर भिटा दर्ज करा लिया है। उक्त आदेश की जानकारी 19.04.2024 होने के पश्चात प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से आदेश की नकल प्राप्त करते हुए चकबन्दी अधिकारी द्वितीय वाराणसी के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.08.2023 को होने के बाद प्रार्थी अभियुक्त रामसिंह एवं अन्य ने न्यायालय चकबन्दी अधिकारी द्वितीय वाराणसी न्यायालय में दिनांक 03.08.2023 ई० के पारित आदेख के खिलाफ तरखीसानी दाखिल किया हुआ है जिसकी सुनवाई चकबन्दी अधिकारी द्वितीय वाराणसी के न्यायालय में चल रही है जो विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त वादिनी मुकदमा को नियमानुसार उक्त आराजी में 1 बिस्वे जमीन का बैनामा करके रंगीता विश्वकर्मा का मौके पर कब्जा दखल करा दिया था। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दाखिल तरबीसानी चकबन्दी अधिकारी द्वितीय वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन है। आदेश के उपरान्त वादिनी मुकदमा नाम उक्त आराजी पर निमयानुसार दर्ज हो जायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा के साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं किया है और ना ही कूटरचित दस्तावेज तैयार वादिनी मुकदमा के पक्ष बैनामा ही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा रहा है इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा वाराणसी जिले के किसी न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल है ना तो लंबित है। प्रार्थी/अभियुक्त का किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विवेचना किसी भी गवाह को परेशान नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगें। उपरोक्त अभिवचन करते हुए याचना की गयी है कि उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटो प्रति को संलग्न की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, ऐसे में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। संबंधित थाने द्वारा मामले से संबंधित आख्या प्रस्तुत की गयी है, जो पत्रावलित है।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त रामसिंह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा से छल करके कुल मु० 8,60,000/–रुपये लेने तथा कूटरचना करके वादिनी मुकदमा को सरकारी भीटे की जमीन का फर्जी बैनामा करने एवं धमकाने का अभियोग लगाया गया है। अभियुक्त की ओर से दाखिल अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि अभियुक्त द्वारा बैनामा दिनांक 30.07.1982 के माध्यम से क्रय की गयी थी जिसपर उसका नाम बतौर भूमिधर दर्ज चला आ रहा था। उक्त भूमि को सरकारी भीटे की जमीन के रूप में दर्ज करने का आदेश दिनांक 03.08.2023 का था, जिसका इंद्राज खतौनी में दिनांक 19.04.2024 को किया गया है। इस एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध अभियुक्त की ओर से तजबीज सानी प्रार्थनापत्र दिनांक 26.02.2024 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण अधिकतम 07 वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में प्रार्थी/अभियुक्त की अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **राम सिंह** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, मु.अ.सं. 89/2026, अन्तर्गत धारा 419,420,506 भा.दं.सं., थाना जंसा, जनपद–वाराणसी के प्रकरण में **स्वीकार** किया जाता है एवं उसे प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत प्रदत्त की जाती है–

1– विवेचक को पूछताछ हेतु जब–जब आवश्यकता पड़ेगी, तब–तब आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष उपस्थित होगा।

2– आवेदक/अभियुक्त उक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिये प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति व आदेश के भारत नहीं छोड़ेगा।

4– आवेदक/अभियुक्त ऐसा अपराध, जिसे करने का उस पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेगा।

5– यदि आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लघंन किया जाता है तो विवेचक के प्रार्थनापत्र पर विद्वान विचारण न्यायालय उचित आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

विवेचक को आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसके द्वारा मुबलिग 50,000/–(पचास हजार रूपये मात्र) की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर, अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(रचना सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
न्यायालय संख्या–02,वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 1644

रितिक कुमार (आशुलिपिक)